

प्रेषक,

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : /

/2009-10 दिनांक- 16-10-2009

विषय- द कैम्ब्रियन स्कूल सआदतगंज, फैजाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 13.10.2009 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भल्तों से कम वेतनमान प्रतिवर्ती भल्ते नहीं दिये जायेंगे।

PRINCIPAL & MANAGER
THE CAMBRIAN SCHOOL
SAHARIGANJ
FAIZABAD.

MANAGER
The Cambrian School
Faizabad

(2)

5. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे।
 6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
 7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 8. प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में समिलित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो अनापत्ति वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)

आत्मकृत

फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।

पत्रांक : ६९१/क्रमा०(ज्ञापन)संखी० संखा० ८०/१३ नापा० १/ २००९-१० तद॒दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
 2. शिक्षा निदेशक (मा०), उ०प्र० लखनऊ ।
 3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
 4. जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
 5. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
 6. निरीक्षक आंगल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
 7. प्रबन्धक द कैम्ब्रियन स्कूल सआदतगंज, फैजाबाद ।

PRINCIPAL
THE CAMBRIAN SCHOOL
SAADATGANJ
FAIZABAD

(राजीव कुमार)

आयुक्त

फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

MANAGER
The Cambrian School
Fazwahad